मुख्य अभियंता का कार्यालय
सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– सीमांचल–आउटलेट–03–29/2022 — 545 दिनांक :–

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ अंचल, पूर्णियाँ।

विषय:– **पथ प्रमंडल अररिया** अन्तर्गत जोगबनी–कालाबलुआ (एस०एच०–77) पथ के **मौजा–मझुआ, खाता** नं०–16, खेसरा **नं०–1134,** रकवा–45डी० में हिन्दुस्तान **पेट्रोलियम कॉरपोरेशन** लि० के प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प के अनापत्ति **प्रमाण–पत्र के संबंध** में।

प्रसंग :– (i) आपका पत्रांक–324 (अनु०) दिनांक–28.03.2022

(ii) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल अररिया का पत्रांक–710 (अनु०) दिनांक 04.05.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक उपभागीय पत्रांक–422 दिनांक 06.04.2022 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया द्वारा प्रासंगिक पत्र (ii) से सूचित किया गया है कि विषयांकित नया पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु आवेदक श्री छोटू कुमार द्वारा विभागीय शुल्क कुल ₹3,16,308/–(तीन लाख सोलह हजार तीन सौ आठ रुपये) मात्र की राशि E-Challan के माध्यम से जमा करा दिया गया है। अतः उक्त के आलोक में जोगबनी–कालाबलुआ (एस०एच०–77) पथ के मौजा–मझुआ, खाता नं०–16, खेसरा नं०–1134, रकवा–45डी० में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० के प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रुप में विकसित कर व्यवहार हेतु 5 (पाँच) वर्षो के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक–4770(E) दिनांक 24.08.2017 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1921(S) दिनांक 08.03.2018 के आलोक में निम्न शर्त्तो पर प्रदान की जाती है :–

1. भविष्य में यदि आवेदिका द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गयी सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. विभागीय पत्रांक 4770 (ई0) दिनांक 24.08.2017 के कंडिका–6 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।

अनु०–मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Retail Outlet/Gas Pipe Line A.K